[12/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 21]

परिशिष्ट - "अ"

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2022/7201
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27.12.20

कलेक्टर
समस्त जिलें म.प्र.

विषयः— अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त अशासकीय शालाओं के संबंध में।

विषयान्र्तगत लेख है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय शाला द्वारा कक्षा–8 तक की मान्यता आवेदन में दर्ज जानकारी अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक अशासकीय शालाओं की सूची आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर स्कूल मान्यता प्रबंधन आप्शन में उपलब्ध कराई गयी है, जिसकी लिंक निम्नानुसार है:—

https://rteportal.mp.gov.in/SRMS/Public/Reports/Minority_Certified_Schools.aspx

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कई अशासकीय शालाओं का अल्पसंख्यक दर्जा अमान्य किया गया है इसलिए इस रिपोर्ट में प्रदर्शित अशासकीय शालाओं को, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जारी प्रमाण पत्र की प्रति अपने जिले के जिला शिक्षा केन्द्र में प्रदान करने हेतु निर्देशित करें। इसके अतिरिक्त यदि किसी अशासकीय शाला के पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जारी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो शाला द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2023 तक प्रमाण पत्र की प्रति जिला शिक्षा केन्द्र में प्रदान की जाना अनिवार्य होगा।

जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रमाण पत्र की वैधता का परीक्षण किया जाकर प्रमाण पत्र वैध या नहीं इसकी जानकारी आरटीई पोर्टल पर दिनांक 21 जनवरी 2023 तक दर्ज कर लॉक की जाना अनिवार्य होगा।

उक्त निर्धारित समयावधि में प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही करने वाली अथवा वैध प्रमाण प्रदाय न करने वाली अशासकीय शालाओं को गैर अल्पसंख्यक शाला माना जायेगा तथा ऐसी शाला को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य होगा।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही समय सीमा में कराना सुनिश्चित करें।

(धनराजू एस.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

Scanned with OKEN Scanner

भोपाल, दिनांक 27/12/22

पृ.क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2022/7202

प्रतिलिपिः–

1 निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।

2 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

3 आयुक्त जनसंपर्क म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।

4 प्रबंध संचालक, MPSEDC State IT Center अरेरा हिल्स भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही बावत।

5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिलें म.प्र.।

6 जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र. की और पालनार्थ।

7 जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिले म.प्र. की और पालनार्थ।

8 समस्त विकासखंड श्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र समस्त जिले म.प्र. की और पालनार्थ।

27/12/22

संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

Scanned with OKEN Scanner